

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmisc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 977 दिनांक : 17/6/22

कार्यालय आदेश

M/s Terrace Pharmaceuticals Pvt. Ltd, F-67, Phase VII, Industrial area S.A.S, Nagar Mohali को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(304)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-27/2020/1847 दिनांक 14.10.2020 के तहत औषधि Cephalexin Cap IP 500mg [97] के क्रयादेश क्रमांक 4572 दिनांक 12.03.2022 के द्वारा 7030000 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 3677 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा 8761800 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2449 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा 5063000 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध शून्य/आंशिक आपूर्ति करने पर पत्रांक 468 दिनांक 17.05.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की शून्य/आंशिक आपूर्ति की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 (प्राप्ति पत्र दिनांक 10.06.2022) की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Terrace Pharmaceuticals Pvt. Ltd, F-67, Phase VII, Industrial area S.A.S, Nagar Mohali को औषधि Cephalexin Cap IP 500mg [97] हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।


 (अनुपमा जोरवाल)
 आई.ए.एस.
 प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 977

दिनांक : 17/6/22

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंजाब।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/पंजाब।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Terrace Pharmaceuticals Pvt. Ltd, F-67, Phase VII, Industrial area S.A.S, Nagar Mohali
13. गार्ड फाईल।

4
विशेषाधिकारी
आर.एम.एस.सी.

54
(संयोजित निदेशक)
मुख्यमंत्री
कार्यालय